Sixteenth Loksabha

>

Title: Regarding aid under Special Central Assistance to Rajasthan.

श्री मानशंकर निनामा (बांसवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम, जयपुर द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाईकर्मी या स्वच्छकार एवं नि:शक्तजन वर्ग के निर्धन परिवारों के आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता योजनान्तर्गत (बैंकिंग योजना) यथा पैकेज ऑफ प्रोग्राम (ग्रामीण एवं शहरी) जनजाति स्वरोजगार योजना तथा गैर-बैंकिंग योजना आदि योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनके तहत अनुसूचित जाति के चयनित बीपीएल एवं समकक्ष परिवारों को परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अथवा दस हजार रुपये अनुदान दिए जा रहे हैं, जो वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही कम हैं। यह अनुदान राशि वर्ष 2002-03 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गयी थी, जो लगभग 14 वर्ष पुरानी है, जिसमें आवश्यकतानुसार कम से कम पाँच गुना तक वृद्धि किए जाने हेतु अनुरोध है।

मेरा सदन के माध्यम से माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जी से अनुरोध है कि इन परिवारों को अधिक-से-अधिक लाभान्वित किए जाने के उद्देश्य से इस वर्ग के लाभार्थियों को विशेष केन्द्रीय सहायता योजनान्तर्गत वर्तमान देय अनुदान राशि दस हजार रुपये से बढ़ाकर पचास हजार रुपये करने की कृपा करें।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Shri Manshankar Ninama.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Rattan Lal Kataria – Not present.